

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-6
संख्या-1649 /नौ-6-2024
लखनऊ: दिनांक: 17 सितम्बर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नगरीय सेवाएं और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना को योजना के दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकाय में क्रियान्वित किया जाना है। अतः योजना के प्रदेश में सफल क्रियान्वयन हेतु योजना के दिशा-निर्देश के प्राविधानों के दृष्टिगत अपर प्रमुख सचिव/ प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (State Urban Infrastructure Committee) का गठन किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1.	अपर प्रमुख सचिव/ प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	निदेशक, नगरीय स्थानीय निकाय, उ०प्र०	सदस्य सचिव
3.	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	सदस्य
4.	सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
5.	सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य
6.	सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग	सदस्य
7.	सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
8.	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
9.	सचिव/मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
10.	निदेशक, सी एण्ड डीएस, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11.	निदेशक, एन०आई०सी० (परियोजनाओं की आवश्यकतानुसार)	सदस्य
12.	अध्यक्ष के विवेकानुसार	विशेष आमंत्रित सदस्य

2- उक्त समिति नगरीय सेवाएं और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना) योजना के दिशा-निर्देश में वर्णित समस्त क्रिया-कलापों/दायित्वों का निर्वहन करेगी।

अमृत अभिजात
प्रमुख सचिव।

संख्या-1649 /नौ-6-2024/2024 एवं तद्दिनांक।

1. समस्त महापौर, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2. अपर प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, माध्यमिक शिक्षा, वित्त, महिला एवं बाल विकास, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
4. समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, नगरीय स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, सी एण्ड डीएस, उ०प्र०, लखनऊ।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, उ०प्र०, लखनऊ।
8. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
9. समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र०।
11. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(सजीवन)
संयुक्त सचिव।